खण्ड - दो

भाग - 3

शास्ति (नियम 10,11)

1. शास्तियाँ तथा अनुशासनिक अधिकारी

नियम 10

10. शास्तियाँ- शासकीय सेवक पर निम्नलिखित शास्तियाँ, अच्छे और पर्याप्त कारण इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित किए गए अनुसार, अधिरोपित की जा सकेगी, अर्थात्-

लघु शास्तियाँ

(एक) परिनिन्दा;

(दो) उसकी पदोन्नति का रोका जाना;

(तीन) उपेक्षा से या आदेशों के भंग द्वारा शासन को उसके द्वारा पहुँचाई गई किसी आर्थि को पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग की उसके वेतन से वसूली;

[1][(चार) वेतन वृद्धियों या गतिरोध भत्ते का रोका जाना।

मुख्य शास्तियाँ

[1][(पांच) किसी उल्लिखित कालावधि के लिए अवनत करके वेतन के समयमान के निम्नत ऐसे और निर्देशों के साथ लाया जाना कि क्या शासकीय सेवक ऐसी अवनति की कालावधि यथास्थिति वेतन वृद्धियाँ या गतिरोध भत्ता उपार्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी कालावधि के हो जाने पर ऐसी अवनति उसके वेतन की भावी वृद्धियों को या गतिरोध भत्ते को स्थगित करने व रखेगी या नहीं;

[1]**टिप्पणी-** अभिव्यक्ति 'अवनत करके वेतन के समय-मान के निम्नतर प्रक्रम में लाया ज अन्तर्गत शासकीय सेवक को गतिरोध-भत्ता मिलने पर जिस प्रक्रम पर वेतन प्राप्त होता है, उस प्रक्रम पर अवनत करना भी आता है।

(छः) अवनत करके निम्नतर समय-मान में, निम्नतर ग्रेड में, निम्नतर पद पर निम्नतर लाया जाना, जो उस शासकीय सेवक को पदोन्नत करके वेतन के उस समयमान में, उस ग्रे उस सेवा में जिससे कि वह अवनत किया गया था, लाये जाने की साधारणतः रोक करेगा, या पद या सेवा पर, जिससे कि शासकीय सेवक अवनत किया गया था, पुनः स्थापित किये शर्तों के सम्बन्ध में तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर इस प्रकार से पुनः स्थापित हो जाने की सम्बन्ध में तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर इस प्रकार से पुनः स्थापित हो जाने पर उसकी तथा वेतन के सम्बन्ध में निर्देशों के सहित या रहित;

(सात) अनिवार्य सेवा-निवृत्ति;

(आठ) सेवा से हटाया जाना, जो कि शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता

(नौ) सेवा से पदच्युत किया जना जो कि मामूली तौर पर शासन के अधीन भावी नियोजन अनर्हता होगी;

---

1. सामान्य प्रशासन की अधिसूचना क्रमांक 6-2-76-3-एक, दिनांक 24-3-1976 द्वारा प्रति तथा म.प्र. राजपत्र दिनांक 24-4-1976 के भाग 4(ग) के पृष्ठ 292-293 पर प्रकाशित

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग